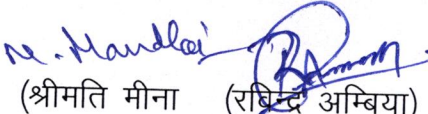
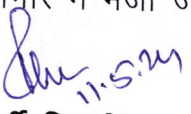


Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleader where necessary
11.05.2024	<u>नेशनल लोक अदालत में प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।</u> परिवादी द्वारा श्री जयेश यादव अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त रामचंद्र सहित श्री संतोष सोनी अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन इस आशय का है कि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन चैक की राशि के संबंध में राजीनामा हो गया है तथा परिवादी ने चैक की संपूर्ण राशि अभियुक्त से प्राप्त कर ली है, जिससे अब उनके मध्य कोई भी विवाद शेष नहीं रहा है। अतः उक्त राजीनामा के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण समाप्त करने और न्यायशुल्क की राशि अदा किए जाने का निवेदन किया गया। आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर परिवादी के साथ किये गये अपराध के संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध का आरोप लंबित है। लंबित उक्त अपराध राजीनामा योग्य होकर शमनीय स्वरूप का है। इस तरह के अपराध में राजीनामा करने हेतु परिवादी विधि अनुसार सक्षम है। आवेदन अनुसार परिवादी मामले में अभियुक्त से स्वेच्छया राजीनामा करना चाहता है। प्रकरण में कोई लोक हित नहीं है। परिवादी ने राजीनामा स्वेच्छया करना स्वीकार किया है। अतः उभयपक्ष की सहमति के अनुपालन में प्रकरण को समाप्त किया जाता है। प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से होने से परिवादी को विवादित चैक की राशि पर देय न्यायशुल्क वापस किए जाने के संबंध में <u>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत रमेशचन्द्रा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. एवं अन्य आई.एल.आर.(1812) एम.पी. 318 डीबी तथा मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 9-1-86-बी-xxi दिनांक 10 अप्रैल 1987</u> के अनुसार लोक अदालत में हुए समझौते अनुसार पृथक से न्यायशुल्क वापसी का प्रमाण पत्र बनाया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।  (श्रीमति मीना मंडलोई) सदस्य  (पूर्वी तिवारी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्रं. 19 सनावद, प.नि. (म.प्र.)	रामचंद्र चौहान 11.5.24